

**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 04/2020

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
अशोक सिंह राजपुरोहित पुत्र जेटूसिंह जाति राजपुरोहित  
निवासी गांव तलिया भैसेर चावण्डियावाली थाना मथानिया  
तहसील तिवरी जिला जोधपुर।  
फर्म-श्री जोधपुर स्वीटस एवं नमकीन, बस स्टेण्ड, तहसील जायल।

**आदेश**

दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13-08-2019 को मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस एवं नमकीन, बस स्टेण्ड, तहसील जायल पर खाद्य पदार्थ खोया में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. व्यू 1171 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/53/एक्ट/2019/53 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त अशोक सिंह राजपुरोहित पुत्र जेटूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव तलिया भैसेर चावण्डियावाली थाना मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-12-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब दिनांक 25.02.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से फीका मावा का नमूना लिया। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैं दूध बाहर से खरीदकर लाता हूँ। जिसमें मिक्स दूध आता है। गाय बकरी भैस आदि का होने से फेट की कमी के कारण मावा में फेट कम हो जाने के कारण सब स्टेण्डर्ड हो जाता है। भविष्य में अच्छा दूध लेकर मावा बनाउगा। कम से कम जुर्माना कर दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/53/एक्ट/2019/53 दिनांक 26.08.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति खोया का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अशोक सिंह राजपुरोहित पुत्र जेटूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव तलिया भैसेर चावण्डियावाली थाना मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर पर रुपये 35,000/- अक्षरे पैतीस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मनोज कुमार)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर  
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर